अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
24 अकबर रोड नई दिल्ली–110011
मीडिया विभाग

पत्रकार वार्ता के मुख्य बिन्दु बुधवार 23 नवम्बर, 2011 सायं–4.15

श्री राशिद अलवी ने पत्रकारों को संबोधित किया ।

श्री राशिद अलवी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि दो दिन से लगातार विपक्षी पार्टियां संसद की कार्रवाई नहीं चलने दे रही बाधा डाल रही है, संसद लगातार स्थगित कराई जा रही है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। संसद बहस की जगह, जनता की समस्याओं पर चर्चा करने की जगह है। प्रधानमंत्री कह चुके हैं विपक्षी पार्टियों से, कि वे जिस मुद्दे पर भी चर्चा एवं बहस करना चाहें, सरकार उसके लिए तैयार है। विपक्ष जो भी मुद्दा चाहे संसद में उठा सकती है, संसद में उस पर बातचीत हो सकती है, परन्तु यह दुर्भाग्यपूर्ण है जो रवैया विपक्ष ने अपनाया हुआ है। संसद के इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक सरकार लाना चाहती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण लोकपाल बिल है, जिस पर सारे देश की निगाहें टिकी है। न्यायिक जवाबदेही विधेयक है, जो कि इसी सत्र में पेश होना है। लगभग ऐसे 31 विधेयक हैं जो इस सत्र में आने हैं। उदाहरण के तौर पर बच्चों के लिए जरूरी और निःशुल्क शिक्षा, महिला आरक्षण विधेयक, प्रसार भारती विधेयक, बीज विधेयक जो किसानों से संबंधित है, फन्ड रेगुलेटरी विधेयक, जीवन बीमा निगम विधेयक, और इसके साथ–साथ अत्यन्त महत्वपूर्ण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल भी इसी सत्र में पेश होने हैं। विपक्ष का एक गैर जिम्मेदाराना रवैया है जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे पता चलता है कि संसद की कितनी इज्जत उनकी नजरों के अन्दर है।

श्री राशिद अलवी ने कहा कल भाजपा ने कहा कि मंहगाई को लेकर हिंसा हो सकती है। इस प्रकार के गैर–जिम्मेदाराना बयान देश की मुख्य विपक्षी पार्टी की तरफ से अगर आते हैं, तो यह भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा क्या चाहती है, इस देश के अन्दर, किस दिशा में देश को ले जाना चाहती है। ऐसा देश जिसकी बुनियादें अहिंसा पर खड़ी हैं, जिस देश के लोग अहिंसा को मानते हों, उस देश में मुख्य विपक्षी दल अगर यह कहता है कि देश की जनता हिंसा पर उतर आएगी, तो

इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण कुछ और नहीं हो सकता। यह जुबान राजनीतिक दलों की नहीं होनी चाहिए, ऐसा लगता है कि यह जुबान माफियों की जुबान है। कि देश के अन्दर हिंसा हो जाएगी।

श्री राशिद अलवी ने कहा कि कुछ जिम्मेदार लोग यह भी कह रहे हैं कि जो आदमी शराब पीता है, उसको पेड़ से बांध कर मारना चाहिए। कानून को हाथ में ले लेना और इस प्रकार से जनता को उकसाना, इससे प्रजातंत्र कमजोर होगा, मजबूत नहीं होगा। तमाम राजनीतिक दलों को ऐसे तमाम लोगों को जो जनता के बीच रहकर, ऐसी बात करते हैं, उन्हें जिम्मेदारी के साथ बयान देने चाहिए।

श्री राशिद अलवी ने कहा कि भाजपा ने एक मुद्दा उठाया है कि उनके सांसद हलफनामा देंगे कि उनके पास काला–धन नहीं है। यह देश को गुमराह करने की एक कोशिश है। कोई भी व्यक्ति जब संसद का चुनाव लड़ता है, नामांकन के समय यह हलफनामा जमा करता है और अपनी संपत्ति का ब्यौरा देता है। और उस हलफनामे का यही मतलब होता है कि जो आय को घोषित कर रहा है, उसके अतिरिक्त उसके पास कोई सम्पत्ति नहीं है। उस हलफनामे का स्पष्ट रूप से यही मतलब होता है। चुनने के बाद यही हलफनामा दोबारा जमा होता है। दूसरी बार फिर घोषित किया जाता है। तीसरी बार भाजपा किस प्रकार का हलफनामा जमा करना चाहती है। क्या इस तरीके का हलफनामा येदियुरप्पा जी ने फाईल नहीं किया था जब वो संसद के सदस्य बने थे, जब उन्होंने चुनाव लड़ा था और अगर किया था तो उस हलफनामे को क्या नतीजा निकला। क्या इस तरीके का हलफनामा रेड्डी बंधुओं ने जमा नहीं किया था और अगर किया था तो उसकी कितनी इज्जत उनकी निगाहों में थी। क्या इस तरीके का हलफनामा जूदेव साहब ने जमा नहीं किया था कि रूपया खुदा तो नहीं पर खुदा से कम भी नहीं। इस हलफनामे का क्या मतलब है भाजपा को बताना चाहिए।

श्री राशिद अलवी ने कहा कि आज उच्चतम न्यायालय ने बंगारू लक्ष्मण की याचिका को रद्द कर दिया वे भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं। इस तरीके के हलफनामे से देश की जनता गुमराह नहीं की जा सकती।

श्री राशिद अलवी ने कहा कि भाजपा संसद में गृह मंत्री का बायकाट करना चाहती है। एक और कोशिश है देश के लोगों को गुमराह करने की।

पी. चिदंबरम साहब के विरूद्ध किसी अदालत का कोई फैसला नहीं है। उनके विरूद्ध किसी आयोग का कोई फैसला नहीं है। उनके विरूद्ध किसी जांच एजेंसी की कोई रिपोर्ट नहीं है। इस प्रकार से किसी साफ सुथरे इंसान के खिलाफ माहौल पैदा करना भी संसद की मर्यादा को कम करता है। श्री चिदंबरम साहब का जॉर्ज फर्नाडिस साहब से तुलना करना कहां तक वाजिब है। जॉर्ज फर्नाडिस साहब का अगर उस समय बायकाट किया गया था, जॉर्ज साहब से त्याग–पत्र लिया गया था, आयोग की रिपोर्ट नहीं आई थी। बगैर आयोग की रिपोर्ट आए हुए उनको दोबारा शामिल किया गया था। इसलिए उस केस को इससे नहीं जोड़ा जा सकता। श्री चिंदबरम साहब के खिलाफ किसी तरीके की कोई रिपोर्ट नहीं है। और अन्त में केवल इतना कहूंगा कि एक बार फिर एस.आई.टी. की रिपोर्ट जो इशरत जहान केश में आई है, उसने गुजरात सरकार को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। इशरत जहान और दूसरे तीन लोगों के बारे में एस.आई.टी. की रिपोर्ट ने नकली मुठभेड़ बताया। एक बार फिर साबित हुआ कि गुजरात के अन्दर, गुजरात के मुख्यमंत्री पर बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं और इस बात का एहसास होता है कि वहां की सरकार एवं वहां के मुख्यमंत्री का इन्सानियत के प्रति नज़रिया दुर्भाग्यपूर्ण है। हम आशा करते हैं कि जो लोग जिम्मेवार हैं, उनको यकीनन सजा मिलेगी।

एक प्रश्न पूछे जाने पर कि क्या अन्ना जी के बयान को भी माफ़िया का बयान समझना चाहिए, श्री राशिद अलवी ने कहा कि मैं केवल इतना कहूंगा कि जिनके बारे में आप कह रहे हैं, अगर कोई भी आदमी, वो या दूसरा आदमी कानून को अपने हाथ में लेने की बात करता है या देश के लोगों को उकसाता है, यह असंवैधानिक जुबान है और इससे देश के अन्दर हालात खराब हो सकते हैं। इसलिए सोच समझ कर ही बयान देने चाहिए।

तेलंगाना के विषय में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में श्री राशिद अलवी ने कहा कि चाहे तेलंगाना का मामला हो अथवा कोई और, संसद बहस की जगह है, वहां पर बहस होनी चाहिए। अगर कोई सांसद बहस करना चाहता है तो संसद में बहस हो सकती है। संसद की कार्रवाई में किसी प्रकार की बाधा डालना या रूकावट पैदा करना प्रजातंत्र को कमजोर करता है।

एक अन्य प्रश्न पर कि स्थगन प्रस्ताव पर सभी पार्टियां मान रही हैं तो सरकार क्यों नहीं मान रही, श्री राशिद अलवी ने कहा कि जहां तक स्थगन प्रस्ताव का संबंध है, संसद के कानून की धारा–56 के अनुसार, स्पीकर की स्वीकृति के साथ ही, स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो इसका निर्णय तो स्पीकर महोदया करेंगी। प्रस्ताव मंजूर होता है या नहीं होता, कोई भी बहस कानून की किस धारा के अर्न्तगत होगी, इसका फैसला तो लोकसभा के स्पीकर एवं राज्यसभा के चेयरमैन ही तय करते हैं। संसद का अपना कानून है और उसका फैसला दोनों सदनों के सभापति ही करते हैं। चाहे किसी की भी सरकार हो। चाहे कोई भी बहस करना चाहे, स्पीकर का जो भी निर्णय होता है कांग्रेस पार्टी उसका आदर करती है।

बाबा रामदेव द्वारा दोबारा आंदोलन करने पर पूछे गए एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री राशिद अलवी ने कहा कि देश में प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है किसी भी आंदोलन करने का, अगर बाबा रामदेव करना चाहते हैं तो संविधान उनको हक देता है कि वो करें। कानून व्यवस्था देखना पुलिस का काम है इसका फैसला पुलिस विभाग करता है कि कौन सा आदमी किस प्रकार का कहां आंदोलन चलाता है। संविधान के अन्दर रह कर ही आपको अधिकार है कि आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं या कोई भी आंदोलन चला सकते हैं।

भाजपा द्वारा बहु–ब्रांड कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में श्री राशिद अलवी ने कहा कि यह मामला मंत्रिमण्डल के समक्ष है और भारत सरकार इस पर निर्णय लेगी। इस विषय पर कांग्रेस पार्टी और सरकार के मध्य कोई मतभेद नहीं है।

संसद में चल रहे गतिरोध पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में श्री राशिद अलवी ने कहा कि भाजपा अगर लोकसभा में स्पीकर एवं राज्यसभा में अध्यक्ष के फैसले की इज्जत करेंगी तो दोनों सदन सुचारू रूप से चलेंगे।

....